

दिनांक 18 सितम्बर, 2019 को निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आहूत क्षेत्रीय पदाधिकारियों के राज्य-स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

1. उपस्थिति:-संलग्न।

सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को ससमय राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में भाग लेने का निदेश दिया गया। अनुपस्थिति के कारण की पूर्व सूचना अचूक रूप से निदेशालय को लभ्य कराने एवं बैठक में अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा वैध कारण नहीं रहने पर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

- अनुपालन:- सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/सभी जिला सां०पदा०/स्थापना
2. प्रमंडलीय कार्यालय, सारण में कर्मी पदस्थापित रहने के बावजूद भी बैठक में कोई भी पदाधिकारी/कर्मी भाग नहीं लेते हैं। सभी तरह के बैठकों में प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/प्रमंडलीय कार्यालय के कर्मी को भाग लेने का निदेश दिया गया।

- अनुपालन:- प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०), सारण
3. अनुपालन प्रतिवेदन निर्धारित 8वीं तारीख तक निदेशालय को लभ्य कराने पर सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
4. अगामी छः माह में सेवानिवृत्त हो रहे पदाधिकारियों/कर्मियों की समीक्षा कर नियमानुसार सेवान्त लाभ के ससमय भुगतान सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

- अनुपालन:- सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०/निदेशालय स्थापना
5. निदेशालय द्वारा विभिन्न संवर्गों के कर्मियों का ACP/MACP कुछ दिन पूर्व दिया गया है। सेवानिवृत्त कर्मी जिन्हें ACP/MACP का लाभ नहीं मिला है उन सभी का विशेष गोपनीय चारित्री उपलब्ध कराने एवं सेवा सत्यापन यथाशीघ्र कराने का निदेश दिया गया। सभी कार्यालयों में कर्मियों को ACP/MACP का लाभ प्रदान करने हेतु सेवा इतिहास, अभिप्रमाणित सेवापुस्त की छाया प्रति इत्यादि की मांग निदेशालय से बार-बार की जा रही है परंतु कुछ ही कार्यालयों से अनुपालन किया गया है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि शीघ्रताशीघ्र संबंधित कागजात निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय या प्रमाण पत्र दिया जाय कि किसी भी पदाधिकारी/कर्मी का ACP/MACP देय नहीं है।

- अनुपालन:- सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०/निदेशालय
6. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह जून 2019 में स्थानान्तरित कुछ कर्मी अभी तक अपने नव पदस्थापन स्थान पर योगदान नहीं किये हैं। सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०) एवं सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि उनके कार्यालय में योगदान नहीं करने वाले नव स्थानान्तरित कर्मी की सूचना निदेशालय को लभ्य करायें।

- अनुपालन:- सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०
7. निदेशालय द्वारा समुह-घ के नियमित कर्मियों का विवरण उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, जो अबतक अप्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन दो दिनों के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराया जाय।

- अनुपालन- सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०
8. बजट :-

- (i) मासिक व्यय विवरणी की समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि सभी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अगस्त, 2019 का मासिक व्यय विवरणी उपलब्ध करा दिया गया है। इसके लिए सभी को धन्यवाद देते हुए भविष्य में सभी प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी।

- अनुपालन- सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०
- (ii) वित्तीय वर्ष 2019-20 में द्वितीय अनुपूरक बजट के लिए सभी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. अथवा किसी भी प्रकार के बकाया वेतनादि का भुगतान एक सप्ताह के अंदर करते हुए व्यय विवरणी के साथ अतिरिक्त राशि की मांग निदेशालय से की जाय ताकि आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राशि का प्रावधान अनुपूरक बजट द्वारा कराया जा सकें।

अनुपालन- सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०

2 4 B N.

(ii) (क) गत बैठकों में दिये गये स्पष्ट निदेश के बावजूद भी अद्यतन संधारित कार्यालय रोकड़ पंजी एवं बैंक पासबुक के अंतिम पृष्ठ की सत्यापित छाया प्रति बहुत जिलों से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह का प्रतिवेदन अनुवर्ती माह के 8वीं तारीख तक निश्चित रूप से निदेशालय के लेखा शाखा को लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

(ख) रोकड़पंजी एवं कार्यालय के बैंक खाता में संधारित राशि से संबंधित BRS प्रतिवेदन की समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि कई कार्यालयों के बैंक खातों में रोकड़पंजी के अन्तःशेष से काफी अधिक राशि संचित है। BRS प्रतिवेदन के अनुसार खासकर जिला सांख्यिकी कार्यालय सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णियाँ, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, पटना, नालंदा, बक्सर, कैमूर, रोहतास, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, खगड़ियाँ, बेगुसराय, बांका, दरभंगा एवं गोपालगंज के पास अन्तःशेष में बड़ी राशि संचित रहने पर क्षोभ प्रकट किया गया एवं निदेश दिया गया कि इसकी जाँच कर दिनांक-25.09.2019 तक नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करें।

अनुपालन- संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(iii) निदेशालय के पत्रांक-1343 दिनांक-12.07.2019 द्वारा कार्यालय के बैंक खातों में संचित राशि के व्यय अथवा संबंधित जमा शीर्ष में जमा करने हेतु विस्तृत निदेश देते हुए विहित प्रपत्र में दिनांक-31.07.2019 तक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, परन्तु अभी तक अधिकांश जिलों के द्वारा उक्त प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने पर क्षोभ प्रकट किया गया एवं सभी को निदेश दिया गया कि उक्त पत्र का अनुपालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालन- सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०/लेखा शाखा

(iv) वित्तीय वर्ष 2019-20 के त्रैमासिक लेखा सत्यापन की समीक्षा की गई। कई जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा बतलाया गया कि महालेखाकार कार्यालय, पटना द्वारा अभी लेखा सत्यापन का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। सभी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जैसे ही लेखा सत्यापन का कार्य प्रारम्भ होता है, तुरंत लेखा सत्यापन कराकर उसकी सत्यापित छायाप्रति निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन- सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०

(v) सभी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जब तक CFMS प्रणाली सुदृढ़ नहीं हो जाता है तब तक आवंटन पंजी, व्यय पंजी एवं विपत्र पंजी आदि का नियमित संधारण करेंगे तथा मैनुअली लेखा की जाँच एवं व्यय-विवरणी प्रेषित करते रहेंगे। मैनुअली एवं CFMS के आंकड़ों में कोई विसंगति हो तो इसकी सूचना CFMS Help Desk को भेजते हुए उसका समाधान यथाशीघ्र करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन- सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०

(vi) पूर्व में समर्पित डी०सी० बिल से संबंधित लेखा परीक्षा आपत्ति का जिला सांख्यिकी पदाधिकारी पटना, बक्सर, पूर्वी चम्पारण एवं मधेपुरा द्वारा अनुपालन नहीं किये जाने संबंधी मामले को गम्भीरता से लेते हुए निदेश दिया गया कि 30.09.2019 तक इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

अनुपालन- संबंधित जिला सां०पदा०

9. वर्षापात:-

(i) वर्षापात के आंकड़ों को Web-Portal पर प्रत्येक दिन 10 बजे पूर्वाह्न तक निश्चित रूप से अपलोड करने एवं 80 mm से ज्यादा वर्षा होने की स्थिति में पुनः सत्यापन के उपरान्त ही अपलोड करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:- सभी जिला सां०पदा०

(ii) सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने जिला में सभी अधिष्ठापित वर्षामापक यंत्रों का निरीक्षण प्रतिवेदन प्राथमिकता के आधार पर Web-Portal पर अपलोड करें।

अनुपालन:- सभी जिला सां०पदा०

✓ ↓

B NI

- (iii) सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि नये वर्षामापक यंत्र के अधिष्ठापन हेतु राशि की आवश्यकता संबंधी मांग पत्र अविलम्ब उपलब्ध करायें।

अनुपालन:- सभी जिला सां०पदा०

- (iv) सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिला के सभी प्रखण्डों में स्वचालित मौसम केन्द्र (AWS) तथा जिला के सभी पंचायतों में स्वचालित वर्षामापी यंत्र (ARG) के अधिष्ठापन हेतु मानक के अनुरूप स्थलों का भौतिक सत्यापन करते हुए स्थलों का फोटो सहित ब्योरा, साथ ही यदि किसी जिला/प्रखंड में AWS अधिष्ठापन हेतु कुछ कम जमीन भी लभ्य है, तो उसका ब्योरा निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:- सभी जिला सां०पदा०

10. रान्यास:-

- (i) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 77वें सत्र के प्रथम गमन में माह अगस्त 2019 तक के कार्यों की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह-अगस्त 2019 तक संपादित सर्वेक्षण की भरी हुई अनुसूचियाँ निम्न जिलों से अप्राप्त हैं:-

क्र.सं.	निरीक्षणालय	लंबित प्रतिदर्श	क्र.सं.	निरीक्षणालय	लंबित प्रतिदर्श
1	मुंगेर	02	2	नालंदा	04

संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने निरीक्षणालय में लंबित अनुसूचियाँ उक्त विवरणी के अनुसार तीन दिनों के अन्दर निदेशालय को उपलब्ध करायें।

अनुपालन:- संबंधित जिला सां०पदा०/अन्वेषक

- (ii) सभी संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निर्धारित संख्या में निरीक्षण करने एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ससमय निदेशालय को लभ्य कराने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालन:- सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/सभी जिला सां०पदा०/निदेशालय

11. लघु सिंचाई गणना:-

- (i) पंचम लघु सिंचाई गणना संदर्भ वर्ष 2013-14 के मानदेय आदि से संबंधित राशि की अधियाचना औचित्य के साथ तीन दिनों के अन्दर भेजने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:- प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/संबंधित जिला सां०पदा०

- (ii) सभी जिलों द्वारा छठी लघु सिंचाई गणना एवं जल निकाय गणना का क्षेत्रीय गणना कार्य की समीक्षा प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को करेंगे। जिसकी कार्यवाही अगले सप्ताह के सोमवार को 12.00 बजे अपराह्न तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जिसकी समीक्षा 4.00 बजे अपराह्न निदेशालय में किया जायेगा।

अनुपालन:- प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/संबंधित जिला सां०पदा०/निदेशालय

- (iii) छठी लघु सिंचाई गणना संदर्भ वर्ष 2017-18 एवं जल निकाय गणना का न्यायदर्श जाँच की सूची एक पक्ष के अन्दर निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालन:- प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/संबंधित जिला सां०पदा०

- (iv) छठी लघु सिंचाई गणना संदर्भ वर्ष 2017-18 एवं जल निकाय गणना का क्षेत्रीय गणना कार्य का नियमित अनुश्रवण कर अविलंब सम्पन्न करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:- प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/संबंधित जिला सां०पदा०

12. आर्थिक गणना:-

जिन जिलों से जिला स्तरीय समन्वय समिति गठन के अप्राप्ति की सूचना दी गयी है। उन सभी जिलों को सात दिनों के अन्दर जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन कर इसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:- प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/संबंधित जिला सां०पदा०

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

13. साधन सांख्यिकी एवं आवास सांख्यिकी :-

- (i) सभी स्थानीय निकायों (शहरी एवं ग्रामीण) वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 का लेखा विवरणी (आय एवं व्यय) विहित प्रपत्र में सभी जिलों से अप्राप्त है। इस संदर्भ में निदेशालय के अनेकों स्मार एवं राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में आपके आश्वासन के बावजूद प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। निदेश दिया गया कि शीघ्रताशीघ्र प्रतिवेदन निदेशालय को लभ्य करायी जाय।

अनुपालन:- सभी उप निदेशक(सां०)/सभी जिला सां०पदा०

- (ii) क्षेत्रीय पदाधिकारियों को आवास सांख्यिकी से संबंधित प्रतिवेदनों एवं प्रपत्रों की जानकारी दी गयी। आवास एवं भवन निर्माण से संबंधित त्रैमासिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2018-19 मुंगेर एवं 2019-20 का नालंदा, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर एवं दरभंगा से अप्राप्त है। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि लंबित वर्षों का त्रैमासिक प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर भारत सरकार को ऑन-लाइन भेजते हुए इसकी सूचना निदेशालय को लभ्य करायी जाय।

अनुपालन: संबंधित जिला सां०पदा०

- (iii) सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेशित किया गया है कि कृषि श्रमिकों की दैनिक मजदूरी, कारा सांख्यिकी, पशुवधशाला एवं पशुओं की महामारी से संबंधित लंबित प्रतिवेदनों को अद्यतन कर एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को लभ्य करायी जाय।

अनुपालन: संबंधित जिला सां०पदा०

14. कृषि:-

- (i) फसल सांख्यिकी सुधार योजना:-

- (क) वर्ष 2018-19 में रब्बी तथा गर्मा 1.0 एवं 1.1 प्रतिवेदन भागलपुर जिला से अप्राप्त है। भागलपुर जिला को लंबित प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:- जिला सां०पदा०, भागलपुर

- (ख) वर्ष 2019-20 में मदई 1.0 एवं 1.1 पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, दरभंगा, बेगुसराय, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, भागलपुर, बांका, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णियाँ, अररिया एवं कटिहार जिला से अप्राप्त है। संबंधित जिला को लंबित प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:- संबंधित जिला सां०पदा०

- (क) वर्ष 2018-19 में गरमा धान 2.0 - सहरसा, अररिया, किशनगंज, कटिहार एवं समस्तीपुर से अप्राप्त है।
- (ख) वर्ष 2018-19 में रब्बी गेहूँ 2.0 - भागलपुर (दो पंचायत का अप्राप्त)
- (ग) गरमा मूंग 2.0 - गया, नवादा, सारण, पूर्वी चम्पारण, दरभंगा, खगड़ियाँ, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णियाँ, अररिया एवं कटिहार से अप्राप्त है।
- (घ) गरमा धान 2.0 - समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया एवं कटिहार से अप्राप्त है।
- (ङ) गरमा मकई 2.0 - नालंदा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया एवं कटिहार से अप्राप्त है।

वांछित प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:- संबंधित जिला सां०पदा०

(iii) भूमि उपयोग विवरणी:- पटना, नालंदा, कैमूर, शेखपुरा, पूर्वी चम्पारण एवं सारण जिला से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि लंबित प्रतिवेदन दिनांक-25.09.2019 तक निदेशालय को लभ्य करावें।

अनुपालन:- संबंधित जिला सां०पदा०

(iv) फल-सब्जी:-

(क) केला:- मुजफ्फरपुर, प० चम्पारण, शिवहर, समस्तीपुर, मधेपुरा एवं अररिया से अप्राप्त है।

(ख) आम:- बक्सर, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, दरभंगा, बांका, मधेपुरा, सुपौल एवं अररिया से अप्राप्त है।

(ग) लीची:- पूर्वी चम्पारण, समस्तीपुर, मधेपुरा एवं सुपौल से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि वांछित लंबित प्रतिवेदन दिनांक 25.09.2019 तक निदेशालय को लभ्य करावें।

अनुपालन:- संबंधित जिला सां०पदा०

15. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक :-

राज्य श्रृंखला के अन्तर्गत चयनित औद्योगिक ईकाईयों से उत्पादन संबंधी प्रतिवेदन आधार वर्ष 2011-12 के लिए प्रत्येक माह प्राप्त होना है। परंतु कुछ जिलों से आधार वर्ष 2003-04 के लिए चयनित ईकाईयों का प्रतिवेदन प्राप्त हो रही है। जिसकी उपयोगिता निदेशालय के लिए शून्य है। अतएव सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि आधार वर्ष 2011-12 के लिए चयनित सूची के अनुसार वर्ष 2011-12 के प्रत्येक माह एवं अप्रैल 2016 से अद्यतन मासिक प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

अनुपालन:- संबंधित जिला सां०पदा०

16. कृषि पदार्थों का साप्ताहिक थोक एवं खुदरा मूल्य प्रतिवेदन :-

कृषि पदार्थों का साप्ताहिक थोक एवं खुदरा मूल्य प्रतिवेदन जहानाबाद, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण एवं समस्तीपुर जिला से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि लंबित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर निदेशालय को उपलब्ध करावें। मूल्य संग्रह दिवस शुक्रवार के अगले कार्य दिवस को निदेशालय के ईमेल (des.si.price.stat@gmail.com) पर भेजते हुए प्रेषित प्रतिवेदन की हॉर्ड कॉपी निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन: सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/सभी जिला सां०पदा०

17. नमक मूल्य का मासिक प्रतिवेदन :-

नमक मूल्य का मासिक प्रतिवेदन नालंदा, गया, नवादा, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, लखीसराय, सिवान, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, प० चम्पारण, बांका, सहरसा, मुंगेर, सारण, मधेपुरा एवं अररिया से अप्राप्त है, जिसे विहित प्रपत्र में भरकर निदेशालय के ईमेल (des.si.price.stat@gmail.com) पर भेजते हुए प्रेषित प्रतिवेदन की हॉर्ड कॉपी निदेशालय को लभ्य करावें।

अनुपालन: संबंधित जिला सां०पदा०

18. बिजनेस रजिस्टर से संबंधित प्रतिवेदन :-

निबंधित बिजनेस प्रतिष्ठानों के लिस्ट फ्रेम के आधार पर विहित प्रपत्र में क्षेत्रीय सर्वेक्षण कर बिजनेस रजिस्टर तैयार करने में होने वाले व्यय का आकलन कर कार्य योजना प०चम्पारण एवं सहरसा से अप्राप्त है। संबंधित जिला को निदेश दिया गया कि कार्य योजनाएं एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालन: संबंधित जिला सां०पदा०/राज्य आय प्रशाखा, मुख्यालय

19. जीवनांक:

(i) जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण का मासिक प्रतिवेदन:- सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्रत्येक माह की 8वीं तारीख तक मासिक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालन: सभी जिला सां०पदा०

- (ii) **प्रतिवेदन प्रेषण का स्तर:-** सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि जिला अन्तर्गत सभी जन्म-मृत्यु निबंधन इकाईयों से प्रतिवेदन प्राप्त कर समेकित प्रतिवेदन लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालन:- सभी जिला सां०पदा०

- (iii) **जन्म रजिस्ट्रीकरण की उपलब्धि:-** वर्ष 2019 में वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध माह अगस्त 2019 तक जन्म रजिस्ट्रीकरण की उपलब्धि 55.16 प्रतिशत प्राप्त किया गया, जबकि माह अगस्त 2019 तक 66.70 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त किया जाना था। शेखपुरा (71.99), सीतामढ़ी (67.59) एवं पूर्णियाँ (67.37) प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने पर धन्यवाद ज्ञापित किया गया। शेष जिलों को रजिस्ट्रीकरण कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया। सभी जिलों को निदेशित किया गया कि माह सितम्बर 2019 तक वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की उपलब्धि 75.00 प्रतिशत प्राप्त करने हेतु समुचित प्रयास करेंगे। इसी क्रम में श्री प्रवीण कुमार, सहायक निदेशक को अगले सप्ताह में जिला सारण जा कर अकार्यरत इकाई को क्रियाशील कराने का निदेश दिया गया।

- अनु०:-** सभी प्र० उप निदेशक(सां०)/सभी जि० सां०पदा०/श्री प्रवीण कुमार,सां० नि०
- (iv) वैसे सभी जिलें जिनका निबंधन प्रतिशत बहुत ही कम है उनके जिलों में सभी निबंधन इकाई को जिला पदाधिकारी के तरफ से पत्र देने तथा आवश्यकतानुसार नियमानुकूल दंड अधिरोपित कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:- संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/संबंधित जिला सां०पदा०

- (v) निदेशालय द्वारा लभ्य कराये गये रोस्टर के अनुरूप रजिस्ट्रीकरण इकाईयों में "विशेष निरीक्षण अभियान" संचालित करने हेतु निदेशित किया गया ताकि किसी भी स्तर से जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं एवं उनके रजिस्ट्रीकरण में अन्तर की स्थिति उत्पन्न न हो सके।

अनुपालन:-सभी जिला सां०पदा०

- (vi) **MCCD त्रैमासिक प्रतिवेदन:-** वर्ष 2019 का प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन सभी जिलों से प्राप्त है। वर्ष 2019 का द्वितीय त्रैमासिक प्रतिवेदन नालंदा एवं जमुई से अप्राप्त है। संबंधित जिलों को एक सप्ताह के अन्दर वांछित प्रतिवेदन लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:- संबंधित जिला सां०पदा०

- (vii) **मासिक अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम :-** जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी का मासिक अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम के साथ पूर्व माह में किये गये भ्रमण का निरीक्षण प्रतिवेदन भी लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:-सभी जिला सां०पदा०/सभी सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी

- (viii) जिला में पदस्थापित सभी सांख्यिकी पदाधिकारियों एवं कर्मियों की सूची (नाम, पदनाम एवं मोबाईल नं० सहित) अब तक 5 जिलों यथा-, रोहतास, अरवल, मुजफ्फरपुर, प० चम्पारण एवं शेखपुरा से अप्राप्त है। लंबित जिलों को विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:- संबंधित जिला सां०पदा०

- (ix) जिला स्तरीय ऑनलाईन प्रशिक्षण हेतु निदेशालय का पत्रांक-2220 दिनांक 02.12.2016 द्वारा आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र, पटना, रोहतास, कैमूर, गया, मुजफ्फरपुर, प० चम्पारण, दरभंगा, मधुबनी, मुंगेर, शेखपुरा, बेगूसराय, सहरसा, पूर्णियाँ एवं अररिया से अबतक अप्राप्त है। वांछित प्रतिवेदन दिनांक 25.09.2019 तक निश्चित रूप से निदेशालय के संबंधित प्रशाखा को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:- संबंधित जिला सां०पदा०

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

निदेशक

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

ज्ञापांक:-DES(योजना शाखा) 01/2019/1294 /पटना, दिनांक:- 01-10-19

- प्रतिलिपि:-
1. सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
 2. सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
 3. वरीय संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक(प्रशासन)/सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी(स्थापना)-1 एवं 2/सभी प्रशाखा के सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रभारी निदेशक कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 4. सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि कार्यवाही में उल्लेखित कंडिकाओं का अनुपालन निर्धारित अवधि के अन्दर सुनिश्चित कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को अनुपालन प्रतिवेदन अविलंब प्रेषित की जाय।

62

निदेशक
01/10/2019

ज्ञापांक:-DES(योजना शाखा) 01/2019/1294/पटना, दिनांक:- 01-10-19

- प्रतिलिपि:-
- श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को ई-मेल द्वारा प्रेषित करने एवं श्री सुदामा कुमार, आई.टी. मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

62

निदेशक
01/10/2019

